न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 40/11

1. प्रभूलाल पुत्र शंकर जाति अहीर (मृतक) निरवासी तेल्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा जरिये कायममुकामान :–
   1/1. रतन बाई पत्नी स्व0 प्रभूलाल आयु 65 वर्ष ।
   1/2. पप्पू पुत्र स्व0 प्रभू लाल आयु 30 वर्ष ।
   1/3. बाल मुकुन्द पुत्र स्व0 प्रभूलाल आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम तेल्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. चतुर्भुज (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. राममुखी पत्नी स्व0 चतुर्भुज ।
   1/2. बाल मुकुन्द पुत्र स्व0 चतुर्भुज ।
   1/3. दिनेश पुत्र स्व0 चतुर्भुज निवासी ग्राम तेल्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी पोस्ट मोडक जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 16/113

1. चतुर्भुज (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. बालचन्द पुत्र स्व0 चतुर्भुज ।
   1/2. दिनेश पुत्र स्व0 चतुर्भुज ।
   1/3. नन्दू बाई पुत्री चतुर्भुज ।
   1/4. मंजू बाई पुत्री चतुर्भुज ।
   1/5. मुकेश बाई पुत्री चतुर्भुज ।
   1/6. संजू बाई पुत्री चतुर्भुज निवासीगण ग्राम तेल्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रतन बाई पत्नी स्व0 प्रभूलाल ।
2. पप्पू पुत्र स्व0 प्रभूलाल ।
3. बालमुकन्द पुत्र स्व0 प्रभूलाल निवासी ग्राम तेल्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री मोहन लाल मेढतवाल, अभिभाषक, अपील संख्या 40/11 में अपीलान्ट की ओर से एवं अपील संख्या 16/113 में रेस्पोडेन्ट की ओर से ।
2. श्री रामरतन मीणा, अभिभाषक, अपील संख्या 40/11 में रेस्पोडेन्ट की ओर से एवं अपील संख्या 16/113 में अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 22.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 25.10.2007 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही अपीलधीन निर्णय के विरूद्ध होने से तथा एक ही वादग्रस्त आराजी होने तथा समान पक्षकारान होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावली में सलग्न किये जावें ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी मृतक चतुर्भुज ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तेल्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी में वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर मिन 212/1 की रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि को वादी गत 20 वर्षो से भी अधिक समय से काश्त करता चला आ रहा है । प्रतिवादीगण जबरन वादी की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा हैं । यदि प्रतिवादीगण अपने इरादों में सफल हो गये तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी ।

4. अतः वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी अथवा उसके कोई प्रतिनिधि किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे वादी को शांन्तिपूर्वक वादग्रस्त आराजी पर काश्त करने दें, दौराने वाद उक्त भूम पर प्रतिवादी ने जबरन कब्जा कर लिया हो तो उसे उससे बेदखल कर कब्जा वापस वादी को दिलाया जावे ।

5. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2007 के द्वारा वादी का वाद एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम दोनों खारिज कर दिये ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 25.10.2007 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील संख्या 40/11 पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी चतुर्भुज नाई द्वारा दिनांक 21.07.1968 से विक्रय की हुई होने तथा गत 40 वर्षो से भी अधिक समय से अपीलान्ट प्रतिवादी के कब्जे काश्त में होते हुए भी अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा कयशुदा भूमि पर खातेदारी हेतु प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार न कर वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज किये जाने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट चतुर्भुज नाई द्वारा कभी काश्त नहीं किये जाने के आधार पर उसकी ओर से बिना कब्जा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद पेश किया जो कानूनन मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किया गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने काउन्टर क्लेम खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2007 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील संख्या 16/113 में अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि है । वादग्रस्त आराजी वादी को

दिनांक 26.06.1966 को आवंटित की गई जिसके बाद से वादी उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । रेस्पोडेन्ट ने भी वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खाते में दर्ज होना स्वीकार किया है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है और रिकॉर्डेड खातेदार अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत कर सकता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2007 निरस्त फरमाया जावे ।

9. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपील संख्या 16/113 में अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया । प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2047 से 2050 खाता संख्या 212, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2043 से 2046, नकल खसरा नम्बर गिरदावरी संवत् 2035 सये 2038 पेश किये गये हैं । दस्तावेज प्रमाणित प्रति हैं और प्रकरण से सम्बन्धित हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. अपील संख्या 40/11 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्ट प्रतिवादी का है । वादी को आवंटन करने से पूर्व ही अपीलान्ट का कब्जा था । अपीलान्ट ने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषणा के लिए काउन्टर क्लेम पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की परन्तु काउन्टर क्लेम के आधार पर कोई तनकी कायम नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि – विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2007 निरस्त फरमाया जावे ।

12. अपील संख्या 16/113 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं मानने में त्रुटि की है । मौके पर कब्जे के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने रिपोर्ट नहीं ली है । वादी अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं और उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं । वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने दावे को दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से सिद्ध किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2007 निरस्त फरमाया जावे ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी मृतक चतुर्भुज ने स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था । पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2051 से 2054 के अनुसार वादग्रस्त आराजी वादी के खातेदारी में दर्ज है ।

14. प्रतिवादी के द्वारा जो काउन्टर क्लेम पेश किया गया है उसमें आवंटन के 10 वर्ष पूर्व से ही अपना कब्जा बताया है । एक कच्ची तहरीर भी डी–1 के रूप में पेश की गई है । आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति डी–2, धारा 91 राजस्व भू–राजस्व अधिनियम के तहत दिये गये नोटिस प्रदर्श– डी–5, खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– डी–7 एवं डी–8 भी पत्रावली में संलग्न हैं ।

15. इसके अलावा बयान वादी पीडब्ल्यू–1 रघुनाथ पुत्र लालाराम कराये गये हैं ।

16. प्रतिवादी की ओर से बयान डीडब्ल्यू–1 प्रभूलाल कराये गये हैं ।

17. अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादग्रस्त आराजी पर उसका कब्जा नहीं होने के आधार पर खारिज किया है वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 1 पेश की है उसके अनुसर वह वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार कृषक है । वादी ने स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी वादी का कब्जा नहीं मानते हुए खारिज किया है और वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये हैं । हमारा यहॉ मत है कि वादी का दावा खारिज तो किया जा सकता है परन्तु बिना विधिक प्रक्रिय अपनाए सीधे ही आराजी को इस दावे में सिवायचक दर्ज नहीं किया जा सकता । अपीलान्ट के द्वारा अपीलान्ट में कुल नकल खसरा गिरदावरी पेश की हैं जिनको रिकॉर्ड पर लिया गया है । पेश किये गये दस्तावेजात का विवेचन एवं विश्लेषण कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

18. जहॉ तक प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम का प्रश्न है प्रतिवादी ने वादग्रस्त आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हक, घोषणा की प्रार्थना की है । माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार कृषि भूमियों पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते । वैसे भी अपीलान्ट प्रतिवादी ने वादग्रस्त आराजी पर लगातार कब्जे के समर्थन में दस्तावेज पेश नहीं किये हैं ।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट संख्या 40/11 खारिज की जाती हैं । अपील संख्या 16/113 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वादी अपीलान्ट मृतक चतुर्भुज के कायम मुकामान के द्वारा पेश किये दस्तावेज के परिप्रेक्ष्य में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । अपीलान्ट द्वारा पेश किये दस्तावेजात उनकी प्रति न्यायालय में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु उन्हें लौटाई जावे । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 03.12.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

20. निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22.10.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा